कार्यालय अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर

क्रमांक/स्था./2018/8990 जबलपुर दिनांक 24/11/2018

विज्ञप्ति

भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड नई दिल्ली के पत्र मि.स.437/6/म.प्र./वि.स./2018 (एम.सी.सी. संदर्भ) / दिनांक 06/11/2018 के तहत म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2-53/2017/1/55 दिनांक 12/01/2018 म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आर्दश सेवा नियम 2018 के अतंर्गत स्वशासी नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में, म.प्र. के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों से, नेताजी सुभाष चंद्र चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में अधिष्ठाता के 01 पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। अधिष्ठाता पद हेतु शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें एम.सी.आई. मापदण्ड अनुसार रहेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 13/12/2018 सायकाल 05:00 बजे तक है। उसके पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जावेंगा। पूर्ण रूप से भरे हुये आवेदन आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर को संबोधित करते हुये स्थान - आयुक्त, जबलपुर संभाग, संभागायुक्त कार्यालय, सिविल लाईन्स, जबलपुर (म.प्र.) पिन कोड 482001 में व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा जमा / भेजे जा सकते है।

आवेदन प्रपत्र एवं विस्तृत जानकारी महाविद्यालय की वेबसाइट www.nscbmc.ac.in पर उपलब्ध है।

(संभागायुक्त जबलपुर महोदय द्वारा निर्देशित एवं अनुमोदित)

24.11

मुख्य कार्यपालन
अधिकारी
नेताजी सुभाष चंद्र बोस
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

Scanned by CamScanner

अन्य जानकारी

अधिष्ठाता पद हेतु :-

1. आवश्यक योग्यतायें:-

   1. Recognized postgraduate medical qualification and other academic qualification from a recognized Institution with a minimum of 10 years teaching experience as Professor /Associate Professor / Reader in a medical, college /instt. Out of which at least five years should be as Professor in a department.
   2. म.प्र. के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मे 05 वर्ष का या अधिक का विभागाध्यक्ष का कार्यानुभव ।

2. अन्य योग्यतायें :-

   1. प्रेसीडेंट/आयोजन सचिव (Organizing Secretary) के रूप मे राज्य, राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सेमीनार का आयोजन ।
   2. न्यायालयीन प्रकरण प्रभारी/स्थापना प्रभारी का अनुभव।
   3. चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में पुरस्कृत किया गया हो ।

3. अभ्यर्थियों को म.प्र. शासन द्वारा नर्सिंग होम/अस्पताल मे प्रायवेट प्रेक्टिस के संबंध मे जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। अभ्यर्थियों द्वारा किसी प्रायवेट अस्पताल/नर्सिंगहोम मे अधिष्ठाता की पूर्वानुमति के बिना बिजिट नहीं किया गया हो, इस संबंध मे स्वघोषणा-पत्र देना होगा।

4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता का पद ग्रहण करने के पश्चात निजी प्रेक्टिस की पात्रता नहीं होगी।

5. चयनित अभ्यर्थी को मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता पद पर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर मे प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जायेगा।

6. वेतनमान :-

   मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता :- 37400-67000+10000+ शासन द्वारा समय-समय पर देय भत्ते ।

7. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगी।

   - जाति संबंधी आरक्षण का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।

8. अभ्यर्थी का म.प्र. मेडिकल काउंसिल/मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है ।

9. निरर्हतायें :-

   9.1 विकृत चित्त वाला होने पर ।

   9.2 दुश्चरित्र होने पर

   9.3 शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।

   9.4 नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा- किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी अम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जावेगा।

   9.5 विवाह संबधी:- जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरूष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 16 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरूष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरूष/महिला

Scanned by CamScanner

से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरूष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।

9.6 कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर ।

9.7 कदाचरण संबंधी:- किसी भी ऐसे उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्त नहीं किया जावेगा यदि उसने शासन या नैतिक प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

9.8 ऐसे उम्मीदवार जिसके विरूद्ध नैतिक पतन के आपराधिक प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन है अथवा व नैतिक पतन के आपराधिक मामले मे दोष सिद्ध हुआ हो।

9.9 ऐसे उम्मीदवार जिनके विरूद्ध विभागीय जांच,लोकायुक्त जांच,ई.ओ.डब्ल्यू जांच लंबित हो।

10. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :- कार्यालय संभाग आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपर में आवेदन पत्र दिनांक 13/12 /2018 को शायंकाल 5:00 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए। आवेदन पत्र डॉक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय मे जमा कराये जा सकते हैं। किसी भी स्थिति मे मे निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

11. पात्र अभ्यर्थियों की सूची एवं साक्षात्कार की दिनाक महाविद्यालय की वेबसाईट www.nscbmc.ac.in पर उपलब्ध की जावेगी ।

12. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्त देय नहीं होगा।

13. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी अपना पासपोर्ट साईज के दो रंगीन फोटो एवं समस्त दस्तावेजों की 02 छायाप्रति स्वप्रमाणित साथ लेकर अनिवार्य रूप से आवें ।

<u>महत्वपूर्ण टीप:-</u> यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि ये अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तो को पूरा करते हैं। अत: आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्ते पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवार समाप्त की जायेगी । आवेदक के विरूद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो,इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप मे दिया गया है । यह शर्ते भी उसमे समाहित रहेंगी।

24.11

मुख्य कार्यपालन
अधिकारी
नेताजी सुभाष चंद्र बोस
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

Scanned by CamScanner

आवेदन का प्रारूप

(आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 13/12/2018)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्‌यालय जबलपुर के पद हेतु

स्व प्रमाणित

नोटः- सभी जानकारी आवेदक द्‌वारा पूर्ण की जावेः-

1. आवेदक का नाम :-..

2. पुरूष/महिला :- ....

3. पिता/पति का नाम (उप नाम सहित):- ....

4. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिन कोड सहित):- ....
....
शहर का नाम:- ....फोन नं. ....
मोबाइल नंबर:- ....ईमेल आइडी...

5. स्थायी पता:-..
....
शहर का नाम :- ....फोन नंबर ....

6. आधार कार्ड नंबर :-..

7. जन्म तिथि (हाई स्कूल परीक्षा की अंक सूची संलग्न करें)..

8. वर्गः- अनारक्षित, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांगः- ....
(आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्‌वारा जारी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)

9. मेडिकल काउन्सिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनांक ....
अ. (एम.बी.बी.एस.)-
ब. एमडी/एमएस -
स. एमसीएच/डीएम -

10. शैक्षणिक अनुभवः-

क्रमांक	पदनाम	शैक्षणिक अनुभव
1	प्राध्यापक	
2	सह-प्राध्यापक	
3	सहायक प्राध्यापक	
4	ट्यूटर/प्रदर्शक	

11. संलग्न प्रमाण पत्रो की सूची (स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

1. एमबीबीएस डिग्री
2. एमडी/एमएस/एमसीएच/डीएम-डिग्री
3. एमडी/एमएस/एमसीएच/डीएम प्रमाण-पत्र
4. मेडिकल काउंसिल का पंजीयन प्रमाण-पत्र (एमबीबीएस)
5. मेडिकल काउंसिल का पंजीयन प्रमाण-पत्र (एमडी/एमएस)
6. मेडिकल काउंसिल का पंजीयन प्रमाण-पत्र (एमसीएच/डीएम)
7. अधार कार्ड
8. विभागाध्यक्ष के पद का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र
9. अधिष्ठाता की पूर्व अनुमति के बिना किसी प्रायवेट अस्पताल मे प्रेक्टिस/विजिटिंग न करने संबंधी स्व घोषणा पत्र ।

Scanned by CamScanner

12. प्राथमिकतायें :-

1. प्रेसीडेंट/आयोजन सचिव (Organizing Secretary) के रूप मे राज्य, राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सीएमई एवं सेमीनार का आयोजन का अनुभव। ।
2. न्यायालयीन प्रकरण प्रभारी/स्थापना प्रभारी का अनुभव।
3. चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में पुरस्कृत किया गया हो ।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

स्थान ....

दिनांक ....

//घोषणा-पत्र//

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि मेरे द्वार दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है । जानकारी असत्य होने की दशा मे मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

मेरे विरूद्ध पुलिस मे एफआईआर दर्ज नहीं है, और मेरे विरूद्ध कोई विभागीय जांच, लोकायुक्त जांच अथवा ई.ओ.डब्ल्यू. जांच प्रचलन मे नहीं है ।

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध मे किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरूद्ध इस प्रकार कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय मे विचारधीन है ।

म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 मुझे पर पूर्णरूपेण बंधनकारी होगें ।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner